पत्र संख्या–11/आ० वि०–04/2025 सा0प्र0 3900
बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

रजनीश कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

ई–मेल

सभी अपर मुख्य सचिव,
सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक– 24.02.2026

विषय :– **राज्याधीन सेवाओं की नियुक्ति/प्रोन्नति एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के संदर्भ में वर्तमान आरक्षण नीति के अनुरूप रोस्टर गठन सहित अन्य बिन्दुओं के मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) के प्रकाशन के संबंध में।**

प्रसंग :– **सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–4400 दिनांक–11.03.2025**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा राज्याधीन सेवाओं में नियुक्ति/प्रोन्नति तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु वर्तमान आरक्षण नीति के अनुरूप रोस्टर गठन से संबंधित अंगीकृत मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) परिचारित किया गया है, जिसमें उत्पन्न संशय के निराकरण हेतु निम्नवत स्पष्टीकरण परिचारित किया जा रहा है–

उल्लेखनीय है कि विभागीय अधिसूचना संख्या–4319 दिनांक–02.03.2023 द्वारा बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली, 2023 के आलोक में यह प्रावधान है कि–

चयनित खेल विधा में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति असैनिक संवर्ग में सीधी भर्ती हेतु (प्रोन्नति हेतु आरक्षित पदों को छोड़कर) उपलब्ध मूल कोटि के कुल बल के 10 प्रतिशत के अंतर्गत होगी। सिपाही संवर्ग एवं पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग में सीधी नियुक्ति हेतु आगामी प्रत्येक रिक्त पदों में एक प्रतिशत पद खिलाड़ियों के लिए खेल कोटा के रूप में आरक्षित रहेगा। पुलिस उपाधीक्षक के लिये स्वीकृत बल का दस प्रतिशत पद आरक्षित रहेगा।

अतएव उक्त नियमावली में वर्णित प्रावधानों से स्पष्ट है कि उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु (सिपाही संवर्ग, पुलिस अपर निरीक्षक संवर्ग एवं पुलिस उपाधीक्षक संवर्ग को छोड़कर) असैनिक संवर्ग में सीधी भर्ती हेतु (प्रोन्नति हेतु आरक्षित पदों को छोड़कर) उपलब्ध मूल कोटि के कुल बल के 10 प्रतिशत के अंतर्गत होगी" **अर्थात असैनिक संवर्ग में सीधी भर्ती हेतु अलग से उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए पद सुरक्षित नहीं रख कर उपलब्ध रिक्ति के विरूद्ध रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई कर अधियाचना प्रेषित किया जाना अपेक्षित है, जबकि उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु उपलब्ध मूल कोटि के 10 प्रतिशत के अंतर्गत होने का सूचना मात्र अंकित किया जाना है।**

FILE PATH-C/... - HINDI LETTER

संयुक्त सचिव

1680

इसी प्रकार उक्त मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) के पृष्ठ–22 के महत्वपूर्ण तथ्य अंतर्गत कंडिका–(xvi) में अधिसूचना संख्या–1468 दिनांक–25.04.2007 {बिहार वाहन चालक (भर्ती एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2007} के आलोक में रोस्टर क्लियरेंस हेतु दिये गये विवरणी को विस्थापित करते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या–15200 दिनांक–14.08.2025 द्वारा बिहार वाहन चालक (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2025 की कंडिका–5, में निर्धारित वाहन चालक के कुल स्वीकृत बल का 35 प्रतिशत पद वाहन चालक (साधारण कोटि), मूल कोटि स्तर के लिए निर्धारित की जायेगी।

परिपत्र की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेंगी।

विश्वासभाजन,

23/02/26.

(रजनीश कुमार)

सरकार के अपर सचिव।

FILE PATH-C/Mohit – HINDI LETTER

⑤ 27.02.26

निबंधित / ई–मेल

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग।

ज्ञापांक:– 05 / स्था0–18(अधियाचना)–28 / 2023 1070. पटना, दिनांक– 27/02/2026

प्रतिलिपि:– सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाए।

27/02/26
(नीरज धर)
उप सचिव

EE. P.T.
to upload

27/02

1563.
02.03.26.
अभियंता, योजना एवं मॉनिटरिंग
संसाधन विभाग,

1179

पत्र संख्या–11/आ० वि०–04/2025 सा0प्र0 4400

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

रजनीश कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव,
सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक– 11·3·25

विषय :– **राज्याधीन सेवाओं की नियुक्ति/प्रोन्नति एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के संदर्भ में वर्तमान आरक्षण नीति के अनुरूप रोस्टर गठन सहित अन्य बिन्दुओं के मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) के प्रकाशन के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अंतर्गत बिहार पदों एवं सेवाओं की नियुक्ति/प्रोन्नति तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़े वर्गों की महिलायें के साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किये जाने का उद्देश्य राज्य के सभी वर्गों का सर्वांगीण विकास करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्याधीन सेवाओं में नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व रोस्टर गठन की कार्रवाई की जाती है, ताकि सभी वर्गों की भागीदारी समान रूप से सुनिश्चित की जा सके।

अतः राज्याधीन सेवाओं में नियुक्ति/प्रोन्नति तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु वर्तमान आरक्षण नीति के अनुरूप रोस्टर गठन से संबंधित अंगीकृत मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) को एतद् द्वारा परिचारित करते हुए अनुरोध है कि इसे अपने अधीनस्थ प्राधिकारों/कार्यालयों में आवश्यक कार्रवाई हेतु अपने स्तर से सुलभ कराने की कृपा की जाय।

अनु0 यथोक्त।

विश्वासभाजन,

11/03/25

(रजनीश कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

FILE PATH C/Mohit – HINDI LETTER

1677

रोस्टर गठन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया

(S.O.P.)

सामान्य प्रशासन विभाग,

बिहार, पटना।

1677

विषय सूची

क्र0सं0	विषय	पृष्ठ सं0
1	उद्देश्य	1
2	विस्तार क्षेत्र	2
3	आरक्षण का प्रावधान जहाँ लागू नहीं होगा	3
4	सीधी/नियमित नियुक्ति से संबंधित रोस्टर गठन की प्रक्रिया	4
5	बैकलॉग	5
6	बैकलॉग की गणना करने के क्रम में ध्यान देने योग्य तथ्य	6 – 7
7	कोटिवार अनुमान्यता की गणना	8
8	कोटिवार अनुमान्यता की गणना करने के क्रम में ध्यान देने योग्य तथ्य	9
9	प्रोन्नति/उच्चतर पद के प्रभार से संबंधित प्रक्रिया	10
10	महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण	11
11	दिव्यांगजनों के लिए क्षैतिज आरक्षण	12 – 13
12	स्वतंत्रता सेनानी के नाती/नतीनी/पोता/पोती के लिए क्षैतिज आरक्षण	14
13	100 बिन्दुओं का मॉडल रोस्टर	15
14	महत्वपूर्ण तथ्य	16 – 22
15	बैकलॉग सहित रोस्टर क्लियरेंस का नमूना	23 – 25
16	बैकलॉग रहित रोस्टर क्लियरेंस का नमूना	26 – 28
17	रोस्टर क्लियरेंस से संबंधित सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)	29 – 43
18	महत्वपूर्ण अधिनियम/संकल्प/परिपत्र	44 – 153

1676

उद्देश्य

कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अंतर्गत बिहार पदों एवं सेवाओं की नियुक्ति/प्रोन्नति तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों, अत्यंत पिछड़े वर्गों एवं पिछड़े वर्गों की महिलायें के साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किये जाने का उद्देश्य राज्य के सभी वर्गों का सम्यक् एवं सर्वांगीण विकास करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए समय–समय पर विभिन्न अधिनियमों, संकल्पों एवं परिपत्रों के माध्यम से दिशा–निदेश निर्गत किए गए हैं।

उपर्युक्त कोटियों में प्रावधानित आरक्षण उर्ध्वाधर आरक्षण है, जबकि राज्य के दिव्यांगजनों, स्वतंत्रता सेनानी के नाती/नतीनी/पोता/पोती एवं महिलाओं के लिए प्रावधानित आरक्षण क्षैतिज आरक्षण है।

विस्तार क्षेत्र

बिहार अधिनियम–3/1992 (मूल) की धारा–3(ग) की अन्य उप कंडिकाओं तथा 3(घ)(1) एवं (2) में आरक्षण अधिनियम के प्रभाव क्षेत्र का विस्तृत वर्णन किया गया है, जिसमें यह अंकित है कि यह अधिनियम उन क्षेत्रों में प्रभावी होगा, जहाँ राज्य के कार्य–कलाप से जुड़े लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों से संबंधित राज्य का कोई कार्यालय या विभाग और इसमें सम्मिलित है–

(i) तत्समय प्रवृत्त किसी राज्य अधिनियम के अधीन गठित कोई स्थानीय या वैधानिक प्राधिकार।

(ii) बिहार सहकारी समिति, अधिनियम–1935 (बिहार अधिनियम–6/1935) के अधीन निबंधित कोई सहकारी संस्थान, जिसमें राज्य सरकार द्वारा शेयर पूंजी लगायी गयी है और जो राज्य सरकार से ऋण अनुदान तथा साहाय्यिकी आदि के रूप में सहायक प्राप्त करता है।

(iii) विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध कॉलेज, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च विद्यालय तथा ऐसे अन्य शैक्षणिक संस्थान, जिन्हें राज्य सरकार ने स्वाधिकृत कर लिया या सहायता प्रदान करती है, और

(iv) सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान।

१६७५

आरक्षण का प्रावधान जहाँ लागू नहीं होगा

राज्य में वैसे स्थापना अथवा पद है, जहाँ आरक्षण का प्रावधान लागू नहीं है यथा–

(i) केन्द्र सरकार के अधीन कोई नियोजन;

(ii) निजी क्षेत्र में कोई नियोजन;

(iii) घरेलू सेवाओं में कोई नियोजन;

(iv) वैसे पद जो स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाते हों;

(v) वैसे पद जो किसी व्यक्ति की प्रतिनियुक्ति से रिक्त होता हो;

(vi) 45 से कम दिनों के लिए अस्थायी नियुक्तियाँ;

(vii) सेवारत सरकारी सेवक के मृत्यु पर अनुकंपा के आधार पर की गयी नियुक्ति और

(viii) ऐसे पद जिसे राज्य सरकार आदेश द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट करें।

सीधी / नियमित नियुक्ति से संबंधित रोस्टर गठन हेतु प्रक्रिया

रोस्टर गठन के क्रम में वांछित सूचनाएँ–

(i) विभाग का नाम–

(ii) पद का नाम–

(iii) विवेचित पद का कुल स्वीकृत बल–

(सीधी भर्ती हेतु कुल स्वीकृत बल)

(iv) कोटिवार कार्यरत बल (अधियाचित पद सहित)–.......... गैर आरक्षित वर्ग (U.R.)–.......,

अनुसूचित जाति (S.C.)–..., अनुसूचित जनजाति (S.T.)–.......,

अत्यंत पिछड़ा वर्ग (E.B.C.)–..., पिछड़ा वर्ग (B.C.)–........,

पिछड़े वर्गों की महिलायें (W.B.C.)–.........., आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.)–..........

(v) रिक्ति– ....

(vi) अंतिम व्यवहृत रोस्टर बिन्दु–.........

नोट– (i) प्रोन्नति / उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटा / अनुकम्पा एवं अन्य पदों हेतु सुरक्षित / आरक्षित रखे जाने वाले पदों का नियमानुसार उल्लेख करते हुए सीधी भर्ती हेतु कुल स्वीकृत बल अंकित किया जाना अपेक्षित है।

(ii) अंतिम व्यवहृत रोस्टर बिन्दु निर्धारित करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या–9432, दिनांक–14.06.2024 एवं परिपत्र संख्या–14396 दिनांक–10.09.2024 के आलोक में रोस्टर पंजी का संधारण अनिवार्य है।

1672

बैकलॉग

प्रस्तुत समव्यवहार में यदि गैर आरक्षित वर्ग (U.R. + E.W.S.) के कार्यरत कर्मियों की संख्या, आरक्षित वर्ग (S.C.+S.T.+B.C.+E.B.C.+W.B.C.) के कार्यरत कर्मियों की संख्या से अधिक हो, तो उसी स्थिति में ही बैकलॉग की गणना की जानी है, जिसे निम्नवत उदाहरण से ग्रहण किया जा सकता है–

(i) कुल स्वीकृत बल– 7
(ii) कोटिवार कार्यरत बल– 4 (गैर आरक्षित वर्ग–2, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग–1 एवं पिछड़ा वर्ग–1)
(iii) शुद्ध रिक्ति– 7 – 4 = 3

चूँकि गैर आरक्षित वर्ग (UR + EWS)–3 के कार्यरत कर्मियों की संख्या आरक्षित वर्ग–1 के कार्यरत कर्मियों की संख्या से 2 अधिक है, अतएव ऐसी स्थिति में बैकलॉग की स्थिति निम्नवत देय होगी :–

(iv) बैकलॉग पदों की संख्या– {(UR + EWS) - Reserved} {(2 + 1) – 1} = 2

बैकलॉग की गणना

कोटि	अनुमान्यता	कार्यरत	बैकलॉग (कॉलम 2–3)
1	2	3	4
अनुसूचित जाति	3 X 2 X 16% = 0.96 = 1	0	1
अनुसूचित जनजाति	3 X 2 X 1% = 0.06 = 0	0	0
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	3 X 2 X 18% = 1.08 = 1	0	1
पिछड़ा वर्ग	3 X 2 X 12% = 0.72 = 1	1	0
पिछड़े वर्गों की महिलायें	3 X 2 X 3% = 0.18 = 0	0	0
कुल	3	1	2

बैकलॉग की गणना करने के क्रम में ध्यान देने योग्य तथ्य

i. बैकलॉग पदों की संख्या, गैर आरक्षित वर्ग (EWS सहित) एवं आरक्षित वर्ग के अंतर्गत कार्यरत बल के अंतर के बराबर होना अपेक्षित है।

ii. बैकलॉग की अनुमान्यता की गणना के क्रम में अनुमान्यता के कॉलम में आरक्षित वर्ग हेतु कुल प्राप्त पदों की संख्या गैर आरक्षित वर्ग (U.R. + E.W.S.) के समतुल्य होना अपेक्षित है।

iii. बैकलॉग पदों की संख्या, गैर आरक्षित वर्ग एवं आरक्षित वर्ग के अंतर्गत कार्यरत बल के अंतर से कम अथवा अधिक होने की स्थिति में सामंजित किया जाना अपेक्षित है, जिसे ऐकिक नियम के अनुसार निम्नवत उदाहरण से सामंजित किया जा सकता है–

$$\frac{\text{अनुमान्यतानुसार कोटिवार बैकलॉग रिक्ति}}{\text{अनुमान्यतानुसार कुल बैकलॉग रिक्ति}} \times \text{शुद्ध बैकलॉग रिक्ति (Net Backlog Vacancy)}$$

(i) कुल स्वीकृत बल– 116

(ii) कोटिवार कार्यरत बल– 54 (गैर आरक्षित वर्ग–32, अनुसूचित जाति–3, अत्यंत पिछड़ा वर्ग–6, पिछड़ा वर्ग–13)

(iii) शुद्ध रिक्ति– 116–54 = 62

(iv) बैकलॉग पदों की संख्या (Net Backlog Vacancy)– **{(UR + EWS) - Reserved}** {(32 + 0) – 22} = 10

(iv) चूँकि कार्यरत बल में आरक्षित वर्ग के कर्मियों की संख्या (22), गैर आरक्षित वर्ग (32) के कर्मियों से कम है। अतएव ऐसी स्थिति में समेकित रूप से बैकलॉग की स्थिति बनती है।

बैकलॉग की गणना

कोटि	अनुमान्यता	कार्यरत	अनुमान्यतानुसार कोटिवार बैकलॉग रिक्ति (कॉलम 2–3)	सामंजित बैकलॉग
1	2	3	4	5
अनुसूचित जाति	32 X 2 X 16% = 10.24 = 10	3	7	5*
अनुसूचित जनजाति	32 X 2 X 1% = 0.64 = 1	0	1	1
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	32 X 2 X 18% = 11.52 = 11	6	5	3
पिछड़ा वर्ग	32 X 2 X 12% = 7.68 = 8	13	–5 (Excess)	0
पिछड़े वर्गों की महिलायें	32 X 2 X 3% = 1.92 = 2	0	2	1
कुल	32	22	कुल बैकलॉग रिक्ति– 15	शुद्ध बैकलॉग रिक्ति– 10

1170

अनुसूचित जाति हेतु सामंजित बैकलॉग की गणना $*\{\frac{7}{15} X10 = 4.66 = 5\}$

iv. प्रस्तुत समव्यवहार में यदि गैर आरक्षित वर्ग (U.R. + E.W.S.) के कार्यरत बल की दोगुनी गणना के फलस्वरूप इसके कुल स्वीकृत बल से अधिक होने की स्थिति में कुल कार्यरत बल के आधार पर सामान्य अनुमान्यता के अनुरूप हीं बैकलॉग की गणना की जाएगी।

v. यदि कुल कार्यरत बल विषम संख्या में हो तथा गैर आरिक्षत वर्ग (U.R. + E.W.S.) के कार्यरत कर्मियों की संख्या, आरक्षित वर्ग (S.C.+S.T.+B.C.+ E.B.C.+W.B.C.) के कार्यरत कर्मियों की संख्या से मात्र एक अधिक हो, तो ऐसी स्थिति में बैकलॉग की गणना नहीं की जानी है।

कोटिवार अनुमान्यता की गणना

निम्नवत उदाहरण के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है–

(i) कुल स्वीकृत बल– 134

(ii) कोटिवार कार्यरत बल– 32 (गैर आरक्षित वर्ग–15, अनुसूचित जाति–4, अत्यंत पिछड़ा वर्ग–6, पिछड़ा वर्ग–7)

(iii) रिक्ति– 134 – 32 = 102

चूँकि गैर आरक्षित वर्ग (15) के कार्यरत कर्मियों की संख्या आरक्षित वर्ग (17) के कार्यरत कर्मियों से कम है, अतएव ऐसी स्थिति में बैकलॉग की स्थिति नहीं बनती है।

कोटिवार अनुमान्यता

कोटि	अनुमान्यता	कार्यरत	रिक्ति कॉलम (2–3)
1	2	3	4
अनुसूचित जाति	134 X 16% = 21.44 = 22	4	18
अनुसूचित जनजाति	134 X 1% = 1.34 = 1	0	1
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	134 X 18% = 24.12 = 24	6	18
पिछड़ा वर्ग	134 X 12% = 16.08 = 16	7	9
पिछड़े वर्गों की महिलायें	134 X 3% = 4.02 = 4	0	4
	67	17	50

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं गैर आरक्षित वर्ग के लिए अनुमान्य पद :– आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अनुमान्य रिक्ति की गणना चालू रिक्ति के आधार पर की जाती है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	चालू रिक्ति का 10% = 102 X 10% = 10.2	10
गैर आरक्षित वर्ग	शुद्ध रिक्ति – (आर्थिक रूप सें कमजोर वर्ग + आरक्षित वर्ग को अनुमान्य पद) = 102 – (10 + 50) = 42	42

नोट– बिहार अधिनियम–11/1993 के अनुसार पिछड़े वर्गों की महिलाओं से अभिप्रेत है, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग की महिलाएं।

1668

कोटिवार अनुमान्यता की गणना करने के क्रम में ध्यान देने योग्य तथ्य–

i. कोटिवार अनुमान्यता की गणना के क्रम में अनुमान्यता कॉलम में आरक्षित वर्गों को कुल प्राप्त पदों की संख्या कुल स्वीकृत बल का 50% से अधिक नहीं होना चाहिए।

ii. कुल स्वीकृत बल की संख्या विषम होने की स्थिति में गैर आरक्षित वर्ग की अनुमान्यता आरक्षित वर्ग की अनुमान्यता से सामान्यतया एक अधिक होना अपेक्षित है।

iii. बैकलॉग की स्थिति में आरक्षित वर्ग के किसी कोटि में पूर्व से अतिरिक्त (Excess) बल कार्यरत रहने की स्थिति में अतिरिक्त कार्यरत बल को बैकलॉग के रूप में शून्य मानते हुए उसे बैकलाग के रूप में कोई पद उपलब्ध नहीं कराते हुए नियमानुसार सामंजित करते हुए आरक्षित वर्ग के अन्य कोटियों की बैकलॉग की गणना की जाएगी।

iv. इसी प्रकार आरक्षित वर्ग के किसी कोटि में पूर्व से अतिरिक्त (Excess) बल कार्यरत रहने की स्थिति में अतिरिक्त कार्यरत बल को वर्तमान चालू रिक्ति में आरक्षित वर्ग के अन्य कोटि की रिक्तियों के साथ समायोजित नहीं किया जाएगा, अर्थात इसे गैर आरक्षित कोटि में समायोजित किया जाएगा।

v. कोटिवार अनुमान्यता की गणना के क्रम में प्राप्त पदों की संख्या रिक्ति/शुद्ध रिक्ति से कम अथवा अधिक होने की स्थिति में सामंजित किया जाना अपेक्षित है, जिसे पूर्व में दिए गए उदाहरण के अनुरूप ऐकिक नियम के अनुसार निम्नवत सामंजित किया जा सकता है–

$$\frac{\text{कोटिवार रिक्ति}}{\text{कुल रिक्ति}} \times \text{शुद्ध रिक्ति}$$

प्रोन्नति/उच्चतर पद के प्रभार से संबंधित प्रक्रिया

रोस्टर गठन के क्रम में वांछित सूचनाएँ–

विभाग का नाम–

प्रोन्नति हेतु पद का नाम–

प्रोन्नति हेतु विवेचित पद का कुल स्वीकृत बल–

कोटिवार कार्यरत बल–..... (अनुसूचित जाति–..., अनुसूचित जनजाति–.....)

रिक्ति– .....

नोटः–

रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई बिहार अधिनियम–17/2002 के आलोक में की जानी है।

राज्याधीन सेवाओं में प्रोन्नति का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन रहने की अवधि में कार्यहित एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले अंतिम आदेश के फलाफल के अधीन राज्य सरकार के योग्य कर्मचारियों/पदाधिकारियों को प्रोन्नति के पदों पर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–19300 दिनांक–13.10.2023 द्वारा अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के अंतर्गत मूल कोटि की वरीयता के आधार पर उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार (वेतनमान सहित) देने का निर्णय लिया गया है।

1666

महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण

राज्याधीन सेवाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में सुधार एवं इन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से राज्याधीन सेवाओं की नियुक्ति में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–963 दिनांक–20.01.2016 द्वारा किया गया है एवं इसे लागू करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–2342 दिनांक–15.02.2016 द्वारा विहित प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है।

दिव्यांगजनों के लिए क्षैतिज आरक्षण

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के तहत सरकारी सेवाओं की नियुक्ति एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में विकलांगों (आज की तिथि में दिव्यांग) को तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या–62 दिनांक–05.01.2007 के द्वारा 03 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया। यह 03 प्रतिशत आरक्षण दिव्यांगता के 03 प्रवर्गों यथा– (i) दृष्टि निःशक्तता, (ii) मूकबधिर निःशक्तता एवं (iii) चलन निःशक्तता प्रत्येक के लिए 01 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए 03 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में भी किया गया।

कालांतर में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रवृत्त होने के पश्चात सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–13062 दिनांक–12.10.2017 द्वारा दिव्यांगजनों को 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य कराया गया है। इस संकल्प के माध्यम से दिव्यांगता के उपर्युक्त तीनों प्रवर्गों के अतिरिक्त एक अन्य प्रवर्ग मनोविकार दिव्यांगता जोड़ा गया एवं प्रत्येक प्रवर्ग के लिए 01–01 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य किया गया, जबकि राज्य के सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में दिव्यांगजनों के लिए 05 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान संकल्प संख्या–7162 दिनांक–31.05.2018 द्वारा अनुमान्य कराया गया है।

पुनः दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण एवं अन्य सुविधाओं का प्रावधान केन्द्रीय अधिनियम के प्रावधानों के समरूप करने के उद्देश्य से सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–962 दिनांक–22.01.2021 द्वारा पूर्व के संकल्प को संशोधित करते हुए

कतिपय संशोधनों के साथ दिव्यांगता के चतुर्थ प्रवर्ग यथा–मनोविकार एवं बहुदिव्यांगता के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया गया।

विभागीय संकल्प संख्या–962 दिनांक–22.01.2021 द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में निहित प्रावधानों के आलोक में राज्याधीन सेवाओं की नियुक्ति में 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रावधानित आदर्श रोस्टर के आलोक में उक्त दिव्यांगों को निम्नांकित श्रृंखला के अन्तर्गत आरक्षण देय होगा –

(क)	अंध और निम्न दृष्टि; (blindness and low vision)	रोस्टर बिन्दु– 01 से 25 तक = 01 पद।
(ख)	बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास; (deaf and hard of hearing)	रोस्टर बिन्दु– 26 से 50 तक = 01 पद।
(ग)	चलंत दिव्यांगता जिसके अंतर्गत प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन, तेजाब आक्रमण के पीड़ित और पेशीय दुष्पोषण भी है; (locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy)	रोस्टर बिन्दु–51 से 75 तक = 01 पद।
(घ)	स्वपरायणता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता और मानसिक रूग्णता (autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness)	रोस्टर बिन्दु–76 से 100 तक = 01 पद।
(ड.)	प्रत्येक दिव्यांगता के लिए पहचान किए गए पदों में खंड (क) से खंड (घ) के अधीन व्यक्तियों में से बहुदिव्यांगता जिसके अंतर्गत बधिर, अंधता भी हैं (multiple disabilities from amongst persons under clauses (*a*) to (*d*) including deaf-blindness in the posts identified for each disabilities)	

यदि किसी समव्यवहार में रोस्टर बिन्दु–13 तक व्यवहृत हो रहा हो तथा उसके विरूद्ध आरक्षण के आधार पर अंध और निम्न दृष्टि से ग्रसित एक उम्मीदवार चयनित हो जाता है, तो अगले रोस्टर बिन्दु–25 तक किसी अन्य अंध और निम्न दृष्टि उम्मीदवार हेतु आरक्षण देय नहीं होगा। इसी क्रम में रोस्टर बिन्दु–38, 63 एवं 88 तक क्रमशः शेष प्रवर्ग यथा–(ख), (ग), (घ) एवं (ड़) के उम्मीदवार चयनित हो जाते हैं, तो क्रमशः रोस्टर बिन्दु–50, 75 एवं 100 तक अन्य दिव्यांग उम्मीदवार हेतु आरक्षण देय नहीं होगा।

1663

नोटः— दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार के परिपत्र संख्या—138 दिनांक—23.01.2025 के आलोक में "मानसिक दिव्यांगता" के स्थान पर "बौद्धिक दिव्यांगता" तथा "मूक और बधिर" के स्थान पर "श्रवण बाधित" शब्दों का प्रयोग किया जाना अपेक्षित है।

1662

स्वतंतत्रा सेनानी के नाती/नतीनी/पोता/पोती के लिए क्षैतिज आरक्षण

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–13185 दिनांक–03.09.2015 द्वारा बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को राज्य सरकार की सेवाओं में नियुक्ति में 2 (दो) प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

विभागीय परिपत्र संख्या–2526 दिनांक–18.02.2016 में निहित प्रावधानों के आलोक में यदि कोई समव्यवहार रोस्टर बिन्दु–100 तक व्यवहृत हो रहा हो, तो उपलब्धता के अनुसार रोस्टर बिन्दु–1 से 50 के बीच 1 (एक) एवं रोस्टर बिन्दु–51 से 100 के बीच 1 (एक) अर्थात कुल 2 (दो) पद स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/ नाती/नतीनी का चयन क्षैतिज आरक्षण के तहत कर लिया जायेगा।

100 बिन्दुओं का मॉडल रोस्टर

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–2622 दिनांक–26.02.2019 द्वारा 100 बिन्दुओं का मॉडल रोस्टर परिचारित किया गया, जिसमें 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं के लिए रोस्टर बिन्दु भी निर्धारित की गयी थी। कालांतर में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या–14396 दिनांक–10.09.2024 द्वारा संशोधित रोस्टर बिन्दु परिचारित किया गया है, जो निम्नवत है–

1. अनारक्षित	26. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	51. अनारक्षित	76. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
2. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	27. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	52. पिछड़े वर्गों की महिलायें	77. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
3. अनारक्षित	28. अनुसूचित जाति	53. अनारक्षित	78. अनुसूचित जाति
4. अनुसूचित जाति	29. अनारक्षित	54. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	79. अनारक्षित
5. अनारक्षित	30. पिछड़ा वर्ग	55. अनारक्षित	80. पिछड़ा वर्ग
6. पिछड़ा वर्ग	31. अनारक्षित	56. अनुसूचित जाति	81. अनारक्षित
7. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	32. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	57. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	82. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
8. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	33. अनारक्षित	58. पिछड़ा वर्ग	83. अनारक्षित
9. अनारक्षित	34. अनुसूचित जाति	59. अनारक्षित	84. पिछड़े वर्गों की महिलायें
10. अनुसूचित जाति	35. अनारक्षित	60. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	85. अनारक्षित
11. अनारक्षित	36. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	61. अनारक्षित	86. अनुसूचित जाति
12. पिछड़ा वर्ग	37. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	62. अनुसूचित जाति	87. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
13. अनारक्षित	38. पिछड़ा वर्ग	63. अनारक्षित	88. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
14. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	39. अनारक्षित	64. पिछड़ा वर्ग	89. अनारक्षित
15. अनारक्षित	40. अनुसूचित जाति	65. अनारक्षित	90. पिछड़ा वर्ग
16. अनुसूचित जाति	41. अनारक्षित	66. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	91. अनारक्षित
17. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	42. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	67. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	92. अनुसूचित जाति
18. पिछड़े वर्गों की महिलायें	43. अनारक्षित	68. अनुसूचित जाति	93. अनारक्षित
19. अनुसूचित जनजाति	44. अनारक्षित	69. अनारक्षित	94. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
20. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	45. अनारक्षित	70. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	95. अनारक्षित
21. अनारक्षित	46. पिछड़ा वर्ग	71. अनारक्षित	96. पिछड़ा वर्ग
22. पिछड़ा वर्ग	47. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	72. पिछड़ा वर्ग	97. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
23. अनारक्षित	48. अनुसूचित जाति	73. अनारक्षित	98. अनुसूचित जाति
24. अनुसूचित जाति	49. अनारक्षित	74. अनुसूचित जाति	99. अनारक्षित
25. अनारक्षित	50. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	75. अनारक्षित	100. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग

1660

महत्वपूर्ण तथ्य

(i) पद आधारित रोस्टर एवं रिक्ति आधारित रोस्टर में अंतर–

(a) रिक्ति आधारित रोस्टर–

कुल स्वीकृत पद/बल–200

कोटिवार कार्यरत–100 (गैर आरक्षित वर्ग–35, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग–8, अनुसूचित जाति–17, अनुसूचित जनजाति–1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग–15, पिछड़ा वर्ग–21 एवं पिछड़े वर्गों की महिलायें–3)

रिक्ति– 200 – 100 = 100

कोटिवार अनुमान्यता

कोटि	रिक्ति आधारित अनुमान्यता	पूर्व से कार्यरत	अनुमान्यता के पश्चात कोटिवार भागीदारी (2+3)
1	2	3	4
अनुसूचित जाति	100 X 16% = 16.0 = 16	17	33 (16.5%)
अनुसूचित जनजाति	100 X 1% = 1.0 = 1	1	2 (1.0%)
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	100 X 18% = 18.0 = 18	15	33 (16.5%)
पिछड़ा वर्ग	100 X 12% = 12.0 = 12	22	34 (17.0%)
पिछड़े वर्गों की महिलायें	100 X 3% = 3.0 = 3	2	5 (2.5%)
	कुल– 50	57	107 (53.5%)

नोट–रिक्ति (100 पद) के आधार पर रोस्टर गठन के क्रम में यहाँ आरक्षित वर्ग को 50 पद प्राप्त हो रहे हैं, जबकि पूर्व से 57 बल कार्यरत हैं। इस प्रकार आरक्षित वर्ग हेतु अनुमान्य कुल स्वीकृत बल 200 का 50 प्रतिशत, अर्थात 100 पदों के विरूद्ध इनकी सहभागिता 50 प्रतिशत आरक्षण से ज्यादा होने पर भी अगले 100 रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्तियों के लिए प्रयुक्त होने वाले समव्यवहार में पुनः अपनी कोटि के विहित आरक्षण प्रतिशत के अनुरूप त्रुटिपूर्ण ढ़ंग से दावा किया जाता था, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका सिविल संख्या–79/1979 (आर० के० सबरवाल एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य) में दिनांक–10.02.1995 को पारित आदेश के अनुसार पद आधारित रोस्टर क्लियरेंस का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत स्वीकृत बल के आधार पर प्रत्येक आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग को उनके आरक्षण प्रतिशत के अनुसार पद अनुमान्य कराये जाते हैं। इस व्यवस्था को तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–117 दिनांक–30.09.1995 द्वारा लागू किया गया है, जो आज तक प्रचलित है।

(b) पद आधारित रोस्टर–

कुल स्वीकृत पद/बल–200

कोटिवार कार्यरत–100 (गैर आरक्षित वर्ग–35, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग–8, अनुसूचित जाति–17, अनुसूचित जनजाति–1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग–15, पिछड़ा वर्ग–21 एवं पिछड़े वर्गों की महिलायें–3)

रिक्ति– 200 – 100 = 100

कोटिवार अनुमान्यता

कोटि	अनुमान्यता	कार्यरत	रिक्ति कॉलम (2–3)	अनुमान्यता के पश्चात कोटिवार भागीदारी
1	2	3	4	5
अनुसूचित जाति	200 x 16% = 32.0 = 32	17	15	16%
अनुसूचित जनजाति	200 x 1% = 2.0 = 2	1	1	1%
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	200 x 18% = 36.0 = 36	15	21	18%
पिछड़ा वर्ग	200 x 12% = 24.0 = 24	22	2	12%
पिछड़े वर्गों की महिलायें	200 x 3% = 6.0 = 6	2	4	3%
	कुल– 100	57	43	50%

नोट–पद (स्वीकृत बल–200) के आधार पर रोस्टर गठन के क्रम में यहाँ आरक्षित वर्ग को 43 पद प्राप्त हो रहे हैं तथा पूर्व से 57 बल कार्यरत हैं, इस प्रकार आरक्षित वर्ग हेतु अनुमान्य कुल स्वीकृत बल (200) का 50 प्रतिशत पद, अर्थात 100 पद पर इनकी सहभागिता पूर्ण हो रही है।

(ii) छोटे स्थापना से तात्पर्य– ऐसे संवर्ग से है, जहाँ सभी कोटियों का प्रतिनिधित्व प्रथम चक्र में रोस्टर बिन्दु–1, 2, 3, 4, 5, 6 एवं 7 (अनुसूचित जनजाति को छोड़कर) पूरा हो रहा हो।

(iii) छोटे स्थापना वाले संवर्ग में आरक्षण प्रतिशत के आधार पर अनुसूचित जनजाति को पद उपलब्ध कराने में व्यवहारिक कठिनाई उत्पन्न होती है, अतः किसी रोस्टर क्लियरेंस के क्रम में अनुसूचित जनजाति को अनुमान्य बिन्दु (19, 119, 219 .....) व्यवहृत होने पर यथास्थिति उक्त कोटि के लिए पद उपलब्ध करा दिया जायेगा।

1658

(iv) ऐसे छोटे स्थापना वाले संवर्ग, जिसमें पिछड़े वर्गों की महिलायें (W.B.C.) (यथा–अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग की महिलायें) कोटि को अनुमान्य उर्ध्वाधर आरक्षण प्रतिशत (03%) के अनुसार पद अनुमान्य कराने में कठिनाई हो रही हो, तो रोस्टर क्लियरेंस के क्रम में पिछड़े वर्गों की महिलायें (W.B.C.) कोटि को अनुमान्यता के अनुरूप स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो रहे रोस्टर बिन्दु–18, 52 एवं 84 व्यवहृत होने पर यथास्थिति उक्त कोटि के लिए पद उपलब्ध करा दिया जाएगा।

(v) ऐसे छोटे स्थापना वाले संवर्ग, जिसमें आरक्षण प्रतिशत के अनुसार पद अनुमान्य कराने में कठिनाई हो रही हो, ऐसी स्थिति में कार्यरत बल नहीं होने की स्थिति में रनिंग रोस्टर (अर्थात यथास्थिति रोस्टर बिन्दु) के अनुसार रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई की जा सकेगी तथा कार्यरत बल मौजूद होने की स्थिति में अनुमान्यतानुसार रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई की जा सकेगी।

(vi) यदि किसी स्थापना में पूर्व से कार्यरत बल विद्यमान है तथा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या–14396 दिनांक–10.09.2024 के साथ संलग्न मॉडल रनिंग रोस्टर के विहित आरक्षण के अनुरूप कोटिवार कार्यरत हैं, तो इसके पश्चात नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई अंतिम व्यवहृत रोस्टर बिन्दु के बाद वाले रोस्टर बिन्दु से रंनिग रोस्टर के आधार पर मॉडल रोस्टर के अनुसार की जाएगी।

इसी प्रकार, नियुक्ति हेतु प्रथम समव्यवहार की स्थिति में रनिंग रोस्टर के आधार पर रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई की जाएगी तथा वैसे समव्यवहार जहाँ कार्यरत बल रनिंग रोस्टर के आधार पर नहीं हो, तो ऐसी परिस्थिति में अनुमान्यतानुसार रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई की जाएगी।

(vii) साथ हीं इसी प्रकार नियुक्ति हेतु किसी समव्यवहार में कार्यरत बल की संख्या शून्य हो, तो बैकलॉग की स्थिति नहीं बनने के कारण अंतिम व्यवहृत रोस्टर बिन्दु के बाद वाले रोस्टर बिन्दु से रंनिग रोस्टर के आधार पर मॉडल रोस्टर के अनुसार रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई की जाएगी।

नोट–चालू/शुद्ध रिक्ति से तात्पर्य है– (कुल रिक्ति – बैकलॉग रिक्ति)।

(viii) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को तब तक चालू रिक्ति (Current Vacancy) का 10 प्रतिशत पद अनुमान्य होता रहेगा, जब तक कि उसे कुल स्वीकृत पद का 10 प्रतिशत पद प्राप्त न हो जाय।

(ix) महिलाओं को 35% क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण के तहत गैर आरक्षित/आरक्षित कोटिवार पद उपलब्ध कराने के क्रम में ऊर्ध्वाधर (Vertical) आरक्षण के अन्तर्गत गैर आरक्षित वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग को अनुमान्य पदों (रिक्तियों) के विरूद्ध 35% की दर से पदों की गणना महिलाओं के लिए की जायेगी। कम से कम 03 (दो में नहीं) पदों के विरूद्ध महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत 01 पद अनुमान्य कराया जा सकेगा। इस क्रम में भिन्नांक 0.01 से 0.49 तक को 0 (शून्य) तथा 0.50 से 0.99 तक को 01 (एक) माना जायेगा। उदाहरण स्वरूप 1.49 = 01 तथा 1.50 = 02 माना जायेगा। यदि कई समव्यवहारों में रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई की जाती है अथवा विभिन्न विभाग अलग–अलग अधियाचना भेजते हैं, जिसके आधार पर आयोग/अनुशंसी संस्थाएं समेकित रूप से विज्ञापन प्रकाशित करती हैं, तो ऐसी स्थिति में महिलाओं हेतु 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत पदों की गणना समव्यवहार (Transaction) वार अथवा विभागवार की जायेगी, न कि समेकित रूप से।

1656

(x) मात्र चालू रिक्ति के विरूद्ध ही दिव्यांगजन हेतु 4% क्षैतिज आरक्षण, महिलाओं हेतु 35% क्षैतिज आरक्षण एवं स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों यथा–पोता/पोती/नाती/नतीनी को 2% यथास्थिति क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

(xi) महिलाओं हेतु 35% क्षैतिज आरक्षण तथा स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों यथा–पोता/पोती/नाती/नतीनी के लिए क्षैतिज आरक्षण को कैरी फारवर्ड नहीं किया जायेगा, यद्यपि दिव्यांगजन अधिनियम, 2016 की धारा–34(2) के आलोक में जहां कोई रिक्ति किसी भर्त्ती वर्ष में संदर्भित दिव्यांगजन की गैर उपलब्धता के कारण या कोई अन्य पर्याप्त कारण से नहीं भरी जा सकेगी, ऐसी रिक्ति गैर आरक्षित वर्ग में कर्णांकित करते हुए पश्चात्वर्त्ती भर्त्ती वर्षों के लिए अग्रणित (Carry Forward) होगी।

(xii) बिहार अधिनियम–11/1993 द्वारा प्रावधानित पिछड़े वर्गों की महिलायें (W.B.C.) से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अत्यंत पिछड़ा वर्ग तथा पिछड़ा वर्ग की महिलाएं।

(xiii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या–9432 दिनांक–14.06.2024 के आलोक में रोस्टर पंजी का संधारण किया जाना अपेक्षित है, ताकि अंतिम व्यवहृत रोस्टर बिन्दु के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सके।

(xiv) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या–14396 दिनांक–10.09.2024 के आलोक में रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है।

(xv) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या–17975 दिनांक–22.09.2023 द्वारा निर्गत बिहार कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) भर्ती एवं सेवाशर्त नियमावली, 2023 के आलोक में रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है। सीधी भर्ती हेतु कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) संवर्ग के मूल कोटि (कोटि–IV) के पद के अंतर्गत की जाएगी, जो उदाहरणस्वरूप निम्नवत है –

कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) संवर्ग का कुल स्वीकृत बल–	100
कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (कोटि–IV) मूल कोटि का प्रतिशत–(100 x 50%)	50
उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु आरक्षित पदों की संख्या (सीधी भर्ती हेतु उपलब्ध मूल कोटि के कुल बल का 10 प्रतिशत)– 50 का 10% = 5	5
कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) के मूल कोटि के पदों पर सीधी भर्ती हेतु उपलब्ध कुल पदों की संख्या	50 – 5 = 45

(xvi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या–1468 दिनांक–25.04.2007 {बिहार वाहन चालक (भर्ती एवं सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली, 2007} के आलोक में रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है। सीधी भर्ती साधारण कोटि के पदों पर की जानी है, जिसे निम्नवत उदाहरण से समझा जा सकता है–

वाहन चालक के कुल चार कोटियों के अंतर्गत कुल स्वीकृत बल–	100
वाहन चालक के साधारण कोटि (रू0 3050–4590/–) के अंतर्गत कुल पदों की संख्या– (100 x 30%)	30
साधारण कोटि के अंतर्गत सीधी भर्ती हेतु कुल पदों की संख्या–	30

(xvii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–8489 दिनांक–11.06.2015 द्वारा निर्गत बिहार क्षेत्रीय कार्यालय एवं समाहरणालय आशुलिपिक/आशुटंकक संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2015 के आलोक में रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है। आशुलिपिक/आशुटंकक संवर्ग के अंतर्गत सीधी भर्ती मूल कोटि के अंतर्गत की जानी है, जो उदाहरणस्वरूप निम्नवत है–

1654

आशुलिपिक/आशुटंकक संवर्ग के कुल चार कोटियों के अंतर्गत कुल स्वीकृत बल–	100
आशुलिपिक, ग्रेड–III/आशुटंकक–III के मूल कोटि (ग्रेड पे–2400) हेतु कुल पदों की संख्या–(100 x 40%)	40
मूल कोटि के अंतर्गत सीधी भर्ती हेतु कुल पदों की संख्या–	40

(xviii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–821 दिनांक–23.03.2011 द्वारा निर्गत बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्तें) नियमावली, 2011 के आलोक में रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है। सीधी भर्ती निम्नवर्गीय लिपिक (मूल कोटि) के अंतर्गत की जानी है, जो उदाहरणस्वरूप निम्नवत है–

लिपिकीय संवर्ग के कुल चार कोटियों के अंतर्गत कुल स्वीकृत बल–	100
निम्नवर्गीय लिपिक के मूल कोटि हेतु कुल पदों की संख्या– (100 x 60%)	60
मूल कोटि के अंतर्गत सीधी भर्ती हेतु कुल पदों की संख्या– (60 x 85%)	51

(xix) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या–1500 दिनांक–30.01.2018 द्वारा वेतन स्तर–8 से नीचे के पदों के रोस्टर क्लियरेंस का कार्य प्रशासी विभाग को सौंपने के संबंध में परिचारित दिशा–निदेश के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है।

(xx) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–4319 दिनांक–02.03.2023 द्वारा बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली, 2023 के आलोक में रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति असैनिक संवर्ग में सीधी भर्ती हेतु (प्रोन्नति हेतु आरक्षित पदों को छोड़कर) उपलब्ध मूल कोटि के कुल बल के 10 प्रतिशत के अंतर्गत की जानी है, जो उदाहरणस्वरूप निम्नवत है–

किसी संवर्ग के अंतर्गत कुल स्वीकृत बल–	100
प्रोन्नति हेतु आरक्षित पद– (100 x 15%)	15
मूल कोटि के अंतर्गत सीधी भर्ती हेतु कुल पदों की संख्या– (100 x 85%)	85
उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु आरक्षित कुल स्वीकृत बल–(85 x 10%) = 8.5	9
सीधी नियुक्ति हेतु मूल कोटि के पदों की संख्या– (85 – 9)	76

(xxi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–6216 दिनांक–29.06.2006 द्वारा निर्गत बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली, 2006 (यथा संशोधित) के आलोक में रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है। सीधी भर्ती निम्नवर्गीय लिपिक (मूल कोटि) के अंतर्गत की जानी है, जो उदाहरणस्वरूप निम्नवत है–

लिपिकीय संवर्ग के अंतर्गत कुल प्राधिकृत बल–	100
निम्नवर्गीय लिपिक के मूल कोटि हेतु प्राधिकृत पदों की संख्या– (100 x 85%)	85
मूल कोटि के अंतर्गत उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु कुल प्राधिकृत पदों की संख्या– (85 x 10%)	8.5 = 9
मूल कोटि के अंतर्गत सीधी भर्ती हेतु कुल प्राधिकृत पदों की संख्या – 85 – 9	76

1652

बिहार अधिनियम– 17/2002 एवं बिहार अधिनियम–2/2019 के आलोक में बैकलॉग सहित रोस्टर क्लियरेंस का नमूना

किसी स्थापना द्वारा प्रतिवेदित सूचनानुसार वस्तुस्थिति निम्नवत है–

(i) कुल स्वीकृत बल– 153

(ii) कोटिवार कार्यरत – 70 (गैर आरक्षित वर्ग–56, अनुसूचित जाति–4, अत्यंत पिछड़ा वर्ग–1, पिछड़ा वर्ग–7 एवं पिछड़े वर्गों की महिलायें–2)

(iii) शुद्ध रिक्ति– 153 – 70 = 83

(iv) अंतिम व्यवहृत रोस्टर बिन्दु–199

2. प्रस्तुत समव्यवहार में गैर आरक्षित वर्ग (56) के कार्यरत कर्मियों की संख्या आरक्षित वर्ग (14) के कार्यरत कर्मियों की संख्या से अधिक है। अतः समेकित रूप से बैकलॉग की स्थिति बनती है। इस प्रकार वर्त्तमान में कुल रिक्त 83 पदों का रोस्टर बिन्दु–200 से 282 तक के विरूद्ध रोस्टर क्लियरेंस करने का प्रस्ताव है।

बैकलॉग की गणना

कोटि	अनुमान्यता	कार्यरत	बैकलॉग (कॉलम 2–3)
1	2	3	4
अनुसूचित जाति	56 X 2 X 16% = 17.92 = 18	4	14
अनुसूचित जनजाति	56 X 2 X 1% = 1.12 = 1	0	1
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	56 X 2 X 18% = 20.16 = 20	1	19
पिछड़ा वर्ग	56 X 2 X 12% = 13.44 = 14	7	7
पिछड़े वर्गों की महिलायें	56 X 2 X 3% = 3.36 = 3	2	1

कुल बैकलॉग–42

शुद्ध रिक्ति = 83 – 42 = 41

कोटिवार अनुमान्यता

कोटि	अनुमान्यता	कार्यरत + बैकलॉग	रिक्ति कॉलम (2–3)
1	2	3	4
अनुसूचित जाति	153 X 16% = 24.48 = 24	4 + 14 = 18	6
अनुसूचित जनजाति	153 X 1% = 1.53 = 1	0 + 1 = 1	0
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	153 X 18% = 27.54 = 28	1 + 19 = 20	8
पिछड़ा वर्ग	153 X 12% = 18.36 = 18	7 + 7 = 14	4
पिछड़े वर्गों की महिलायें	153 X 3% = 4.59 = 5	2 + 1 = 3	2
	कुल–76	56	20

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं गैर आरक्षित वर्ग के लिए अनुमान्य पद :– आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अनुमान्य रिक्ति की गणना शुद्ध रिक्ति के आधार पर की जाती है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	शुद्ध रिक्ति का 10% = 41 X 10% = 4.10	4
गैर आरक्षित वर्ग	शुद्ध रिक्ति – (आर्थिक रूप सें कमजोर वर्ग + आरक्षित वर्ग को अनुमान्य पद) = 41 – (4 + 20) = 17	17

3. तदनुसार कुल रिक्त 83 पदों का रोस्टर बिन्दु–200 से 282 तक आच्छादित होने वाला रोस्टर क्लियरेंस निम्नवत् प्रस्तावित है :–

(क) बैकलॉग रिक्ति हेतु अनुमान्य पद–

अनुसूचित जाति– रोस्टर बिन्दु–200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 एवं 213 = 14 पद।

अनुसूचित जनजाति– रोस्टर बिन्दु–214 = 01 पद।

अत्यंत पिछड़ा वर्ग–रोस्टर बिन्दु–215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232 एवं 233 = 19 पद।

पिछड़ा वर्ग–रोस्टर बिन्दु–234, 235, 236, 237, 238, 239 एवं 240 = 07 पद।

पिछड़े वर्गों की महिलायें–रोस्टर बिन्दु–241 = 01 पद।

(ख) चालू रिक्ति हेतु अनुमान्य पद–

अनुसूचित जाति– रोस्टर बिन्दु–248, 256, 262, 268, 274 एवं 278 = 06 पद।

(यहाँ अनुसूचित जाति को 6 पद प्राप्त हो रहा हैं। अतएव अनुसूचित जाति की महिला को क्षैतिज आरक्षण के तहत 6 x 35% = 2.1 = 2 पद अनुमान्य होगा।)

अत्यंत पिछड़ा वर्ग–रोस्टर बिन्दु–242, 250, 254, 260, 266, 270, 276 एवं 282 = 08 पद।

(यहाँ अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 8 पद प्राप्त हो रहा हैं। अतएव अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला को क्षैतिज आरक्षण के तहत 8 x 35% = 2.8 = 3 पद अनुमान्य होगा।)

पिछड़ा वर्ग–रोस्टर बिन्दु–246, 258, 264 एवं 272 = 04 पद।

(यहाँ पिछड़ा वर्ग को 4 पद प्राप्त हो रहा हैं। अतएव पिछड़ा वर्ग की महिला को क्षैतिज आरक्षण के तहत 4 x 35% = 1.4 = 1 पद अनुमान्य होगा।)

पिछड़े वर्गों की महिलायें–रोस्टर बिन्दु–252 एवं 280 = 02 पद।

(यद्यपि रोस्टर बिन्दु–280 पिछड़ा वर्ग के लिए कर्णांकित है, परन्तु इनका कोटा पूर्ण होने तथा अनुमान्यतानुसार उक्त रोस्टर बिन्दु पिछड़े वर्गों की महिलायें को अनुमान्य कराया गया है।)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग–रोस्टर बिन्दु–247, 257, 267 एवं 277 = 04 पद।

(यहाँ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 4 पद प्राप्त हो रहा हैं। अतएव आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला को क्षैतिज आरक्षण के तहत 4 x 35% = 1.4 = 1 पद अनुमान्य होगा।)

गैर आरक्षित वर्ग–रोस्टर बिन्दु–243, 244, 245, 249, 251, 253, 255, 259, 261, 263, 265, 269, 271, 273, 275, 279 एवं 281 = 17 पद।

(यहाँ गैर आरक्षित वर्ग को 17 पद प्राप्त हो रहा हैं। अतएव गैर आरक्षित वर्ग की महिला को क्षैतिज आरक्षण के तहत 17 x 35% = 5.95 = 6 पद अनुमान्य होगा।)

उपर्युक्त अनुमान्य कराये गए पदों में विभागीय संकल्प संख्या–962 दिनांक–22.01.2021 द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के आलोक में दिव्यांगता से ग्रस्त उम्मीदवारों को क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत निम्नवत् क्षैतिज आरक्षण देय होगा :–

रोस्टर बिन्दु	अंध और निम्न दृष्टि दिव्यांगता को	बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास दिव्यांगता को	चलंत दिव्यांगता जिसके अन्तर्गत प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन, तेजाब आक्रमण से पीड़ित और पेशीय दुष्पोषण को	स्वपरायणता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता और मानसिक रूग्णता/संकल्प संख्या–962 दिनांक–22.01.2021 की कंडिका–(8) के खण्ड–(क) से खण्ड–(घ) के अधीन बहुदिव्यांगता को	कुल
242 से 281	0	0	1	0	1
कुल	0	0	1	0	1

विभागीय परिपत्र संख्या–2526 दिनांक–18.02.2016 के आलोक में राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी को 1 (एक) पद क्षैतिज आरक्षण के तहत् अनुमान्य होगा।

बिहार अधिनियम–17/2002 एवं बिहार अधिनियम–2/2019 के आलोक में बैकलॉग रहित रोस्टर क्लियरेंस का नमूना

किसी स्थापना द्वारा प्रतिवेदित सूचनानुसार वस्तुस्थिति निम्नवत है–

(i) कुल स्वीकृत बल– 131

(ii) कोटिवार कार्यरत – 56 (गैर आरक्षित वर्ग–28, अनुसूचित जाति–4, अनुसूचित जनजाति–1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग–9, पिछड़ा वर्ग–12 एवं पिछड़े वर्गों की महिलायें–2)

(iii) शुद्ध रिक्ति– 131 – 56 = 75

(iv) अंतिम व्यवहृत रोस्टर बिन्दु–186

2. प्रस्तुत समव्यवहार में गैर आरक्षित वर्ग (28) के कार्यरत कर्मियों की संख्या आरक्षित वर्ग (28) के कार्यरत कर्मियों की संख्या के बराबर है। अतः समेकित रूप से बैकलॉग की स्थिति नहीं बनती है। इस प्रकार वर्त्तमान में कुल रिक्त 75 पदों का रोस्टर बिन्दु–187 से 261 तक के विरूद्ध रोस्टर क्लियरेंस करने का प्रस्ताव है।

कोटिवार अनुमान्यता

कोटि	अनुमान्यता	कार्यरत	रिक्ति कॉलम (2–3)
1	2	3	4
अनुसूचित जाति	131 X 16% = 20.96 = 21	4	17
अनुसूचित जनजाति	131 X 1% = 1.31 = 1	1	0
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	131 X 18% = 23.58 = 23	9	14
पिछड़ा वर्ग	131 X 12% = 15.72 = 16	12	4
पिछड़े वर्गों की महिलायें	131 X 3% = 3.93 = 4	2	2
	कुल–65	28	37

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं गैर आरक्षित वर्ग के लिए अनुमान्य पद – आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अनुमान्य रिक्ति की गणना चालू रिक्ति के आधार पर की जाती है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	चालू रिक्ति का 10% = 75 X 10% = 7.50	8
गैर आरक्षित वर्ग	चालू रिक्ति – (आरक्षित वर्ग + आर्थिक रूप सें कमजोर वर्ग को अनुमान्य पद) = 75 – (37 + 8) = 30	30

3. तदनुसार कुल रिक्त 75 पदों का रोस्टर बिन्दु–187 से 261 तक आच्छादित होने वाला रोस्टर क्लियरेंस निम्नवत् प्रस्तावित है :–

अनुसूचित जाति– रोस्टर बिन्दु–192, 198, 204, 210, 216, 222, 224, 228, 230, 234, 238, 240, 246, 248, 256, 258 एवं 261 = 17 पद।

1648

(यद्यपि रोस्टर बिन्दु–222, 230, 238, 246 एवं 258 पिछड़ा वर्ग एवं रोस्टर बिन्दु–261 गैर आरक्षित वर्ग के लिए कर्णांकित है, परन्तु इनका कोटा पूर्ण होने तथा अनुमान्यतानुसार उक्त रोस्टर बिन्दु अनुसूचित जाति को अनुमान्य कराया गया है।)

(यहाँ अनुसूचित जाति को 17 पद प्राप्त हो रहा हैं। अतएव अनुसूचित जाति की महिला को क्षैतिज आरक्षण के तहत 17 x 35% = 5.95 = 6 पद अनुमान्य होगा।)

अत्यंत पिछड़ा वर्ग–रोस्टर बिन्दु–188, 194, 200, 202, 208, 214, 220, 226, 232, 236, 242, 250, 254 एवं 260 = 14 पद।

(यहाँ अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 14 पद प्राप्त हो रहा हैं। अतएव अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला को क्षैतिज आरक्षण के तहत 14 x 35% = 4.9 = 5 पद अनुमान्य होगा।)

पिछड़ा वर्ग–रोस्टर बिन्दु–190, 196, 206 एवं 212 = 04 पद।

(यहाँ पिछड़ा वर्ग को 4 पद प्राप्त हो रहा हैं। अतएव पिछड़ा वर्ग की महिला को क्षैतिज आरक्षण के तहत 4 x 35% = 1.4 = 1 पद अनुमान्य होगा।)

पिछड़े वर्गों की महिलायें–रोस्टर बिन्दु–218 एवं 252 = 02 पद।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग–रोस्टर बिन्दु–187, 197, 207, 217, 227, 237, 247 एवं 257 = 08 पद।

(यहाँ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 8 पद प्राप्त हो रहा हैं। अतएव आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला को क्षैतिज आरक्षण के तहत 8 x 35% = 2.8 = 3 पद अनुमान्य होगा।)

गैर आरक्षित वर्ग–रोस्टर बिन्दु–189, 191, 193, 195, 199, 201, 203, 205, 209, 211, 213, 215, 219, 221, 223, 225, 229, 231, 233, 235, 239, 241, 243, 244, 245, 249, 251, 253, 255 एवं 259 = 30 पद।

यद्यपि रोस्टर बिन्दु–219 अनुसूचित जनजाति को कर्णांकित है, परन्तु उसका कोटा पूर्ण होने एवं अनुमान्यतानुसार इसे गैर आरक्षित वर्ग को अनुमान्य कराया गया है।

(यहाँ गैर आरक्षित वर्ग को 30 पद प्राप्त हो रहा हैं। अतएव गैर आरक्षित वर्ग की महिला को क्षैतिज आरक्षण के तहत 30 x 35% = 10.5 = 11 पद अनुमान्य होगा।)

उपर्युक्त अनुमान्य कराये गए पदों में विभागीय संकल्प संख्या–962 दिनांक–22.01.2021 द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के आलोक में दिव्यांगता से ग्रस्त उम्मीदवारों को क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत निम्नवत् क्षैतिज आरक्षण देय होगा :–

रोस्टर बिन्दु	अंध और निम्न दृष्टि दिव्यांगता को	बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास दिव्यांगता को	चलंत दिव्यांगता जिसके अन्तर्गत प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन, तेजाब आक्रमण से पीड़ित और पेशीय दुष्पोषण को	स्वपरायणता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता और मानसिक रूग्णता/संकल्प संख्या–962 दिनांक–22.01.2021 की कंडिका–(8) के खण्ड–(क) से खण्ड–(घ) के अधीन बहुदिव्यांगता को	कुल
187 से 200	0	0	0	1	1
201 से 261	1	1	0	0	2
कुल	1	1	0	1	3

विभागीय परिपत्र संख्या–2526 दिनांक–18.02.2016 के आलोक में राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी को 1 (एक) पद क्षैतिज आरक्षण के तहत् अनुमान्य होगा।

1646

रोस्टर क्लियरेंस से संबंधित सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नावली (FAQ)

1. बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम की संख्या है?

उत्तर– बिहार अधिनियम सं०–3, 1992

2. बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) किस अधिनियम द्वारा आरक्षित कोटि की 50 प्रतिशत रिक्तियों को विभिन्न आरक्षित कोटियों को अनुमान्य कराया गया है?

उत्तर– बिहार अधिनियम सं०–17, 2002

3. बिहार उच्च न्यायिक सेवा एवं बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) के पदों पर सीधी नियुक्ति में किये गए आरक्षण के आलोक में रोस्टर बिन्दु का निर्धारण एवं महिलाओं के लिए क्रमशः 35 एवं अस्थि विकलांग के लिए 1 (एक) प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के क्रम में चयन की प्रक्रिया निर्धारण किस संकल्प/परिपत्र द्वारा प्रावधान किया गया?

उत्तर– परिपत्र संख्या–588, दिनांक–17.01.2017

4. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत सरकारी सेवाओं की नियुक्ति एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में दिव्यांगों को आरक्षण किस संकल्प/परिपत्र द्वारा प्रावधान किया गया?

उत्तर– संकल्प संख्या–13062, दिनांक–12.10.2017

5. राज्य सरकार के अधीन शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में दिव्यांगों के लिए 5% (पाँच प्रतिशत) स्थान आरक्षित किस संकल्प/परिपत्र द्वारा प्रावधान किया गया?

उत्तर– संकल्प संख्या–7162, दिनांक–31.05.2018

6. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत राज्याधीन सेवाओं की नियुक्ति एवं उच्च शैक्षणिक संस्थानों के नामांकन में बहु–दिव्यांगता को सम्मिलित करने तथा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों को केन्द्रीय दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुप किस संकल्प/परिपत्र द्वारा प्रावधान किया गया?

उत्तर– संकल्प संख्या–962, दिनांक–22.01.2021

7. पदों के समूहीकरण के संबंध में दिशा–निदेश किस संकल्प/परिपत्र द्वारा किया गया?

उत्तर– परिपत्र संख्या–2803, दिनांक–03.10.2006

8. बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं/संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए प्रावधानित 35 प्रतिशत आरक्षण के क्रम में चयन की विहित प्रक्रिया एवं रोस्टर बिन्दु का निर्धारण के संबंध में दिशा–निदेश किस संकल्प/परिपत्र द्वारा किया गया?

उत्तर– संकल्प संख्या–963 दिनांक–20.01.2016 एवं परिपत्र संख्या–2342,

दिनांक–15.02.2016

9. राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी को राज्य सरकार की सेवाओं में नियुक्ति में 2 (दो) प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के क्रम में रोस्टर बिन्दु का निर्धारण के संबंध में दिशा–निदेश किस संकल्प/परिपत्र द्वारा किया गया?

उत्तर– परिपत्र संख्या–2526, दिनांक–18.02.2016

10. आउट सोर्सिंग के तहत प्रदान/प्राप्त की जाने वाली सेवाओं में आरक्षण लागू करने के संबंध में दिशा–निदेश किस संकल्प/परिपत्र द्वारा किया गया?

उत्तर– संकल्प संख्या–13876, दिनांक–03.11.2017

11. वेतन स्तर–8 से नीचे के पदों के रोस्टर क्लियरेंस का कार्य प्रशासी विभाग को सौंपने के संबंध में दिशा–निदेश किस संकल्प/परिपत्र द्वारा किया गया?

उत्तर– परिपत्र संख्या–1500, दिनांक–30.01.2018

12. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत सरकारी सेवाओं में नियुक्ति एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में दिव्यांगों को कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है?

उत्तर– सरकारी सेवाओं में नियुक्ति हेतु – 4 प्रतिशत एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु – 5 प्रतिशत।

13. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रावधानित आदर्श रोस्टर के आलोक में अंध एवं निम्न दृष्टि, बधिर तथा श्रवण शक्ति में ह्रास एवं चलंत दिव्यांगता को किस श्रृंखला के अंतर्गत आरक्षण देय है?

उत्तर– रोस्टर बिन्दु– 1 से 25 – अंध एवं निम्न दृष्टि

26 से 50 – बधिर तथा श्रवण शक्ति में ह्रास

51 से 75 – चलंत दिव्यांगता

14. बहुदिव्यांगता जिसके अंतर्गत बधिर एवं अंधता भी शामिल है, के साथ मनोविकार दिव्यांग को किस श्रृंखला के अंतर्गत आरक्षण का प्रावधान किया गया है?

उत्तर – रोस्टर बिन्दु– 76 से 100

15. क्या बैकलॉग पदों के विरूद्ध महिलाओं हेतु 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, दिव्यांगजनों को अनुमान्य 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण तथा स्वतंत्रता सेनानी के नाती/नतीनी/पोता/पोती को कोई पद अनुमान्य कराया जा सकता है?

उत्तर– नहीं।

16. पिछड़े वर्गों की महिला से तात्पर्य क्या है या पिछड़े वर्गों की महिला कोटि के अंतर्गत कौन चयनित हो सकते हैं?

उत्तर– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाएँ।

17. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग कोटि के लिए आरक्षित रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति/प्रोन्नति के लिए उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में कितने भर्ती वर्षों तक के लिए उन रिक्तियों को आरक्षित रखा जाएगा?

उत्तर– तीन भर्ती वर्ष तक इसे अग्रणित (Carry Forward) रखते हुए आरक्षित रखा जाएगा। इसके पश्चात आपसी विनिमय (Mutual Exchange in each other category) द्वारा भरा जाएगा।

यथा– (i) अनुसूचित जाति ⟷ अनुसूचित जनजाति

(ii) पिछड़ा वर्ग ⟷ अत्यंत पिछड़ा वर्ग

नोट–बिहार अधिनियम–3/1992 में अंकित प्रावधानानुसार अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों से उनके लिए आरक्षित रिक्तियों में नियुक्ति एवं प्रोन्नति के लिए उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में तीन भर्ती वर्षों तक के लिए उन रिक्तियों को आरक्षित बनाए रखा जाएगा और यदि तीसरे वर्ष में भी सुयोग्य उम्मीदवार नहीं उपलब्ध हो, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के

बीच रिक्तियों का विनिमय किया जायेगा और विनिमय द्वारा तथा पूरित रिक्तियां उस विशेष समुदाय के उम्मीदवार जो वस्तुतः नियुक्त किये जाते हैं, के लिए आरक्षित समझी जायेगी।

इसी प्रकार अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग कोटि के सुयोग्य उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में वैसी आरक्षित रिक्तियाँ तीन भर्ती वर्षों के लिए आरक्षित बनी रहेगी और यदि तीसरे वर्ष में भी सुयोग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हों, तो रिक्तियाँ अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों से विनिमय द्वारा भरी जायेंगी और विनिमय द्वारा तथा पूरित रिक्तियां उस विशेष समुदाय के उम्मीदवारों, जो वस्तुतः नियुक्त किये जाते हैं, के लिए आरक्षित समझी जायेगी।

18. प्रोन्नति/नियुक्ति हो जाने के पश्चात योगदान करने वाले अभ्यर्थियों की प्रविष्टि रोस्टर पंजी में की जाएगी और प्रविष्टि के पश्चात नियुक्ति पदाधिकारी या इसके लिए प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर आवश्यक होगा, वह पदाधिकारी होंगे–

उत्तर– उप सचिव या इसके समकक्ष स्तर के।

19. किसी कोटि हेतु आरक्षित बिन्दु को अनारक्षित करने में किसका आदेश प्राप्त करना आवश्यक है?

उत्तर– मुख्यमंत्री का।

20. राज्याधीन पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में कुल कितने कोटि को वर्तमान में उर्ध्वाधर आरक्षण प्राप्त है? इसका प्रतिशत भी बताएँ?

उत्तर– कुल कोटि अनुसूचित जाति–16%, अनुसूचित जनजाति–1%, पिछड़ा वर्ग–12%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग–18%, पिछड़े वर्गों की महिलायें–3%, गैर आरक्षित वर्ग–40% एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग–10%

21. जब कोई आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार (जो अपने गुणागुण के आधार पर) चयनित होते हैं, तो उनकी गणना किस कोटि के अंतर्गत की जाएगी?

उत्तर– खुली गुणागुण कोटि के 40 प्रतिशत रिक्तियों के विरूद्ध गैर आरक्षित वर्ग के अंतर्गत।

22. Review Writ Petition संख्या–1749/1997 Post Graduate Institute of Medical Education – Research Chandigarh versus Faculty association and others में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक–17.04.1998 के आलोक में एकल पद हेतु आरक्षण लागू होगा अथवा नहीं?

उत्तर– एकल पद पर आरक्षण लागू नहीं होगा।

23. पद आधारित रोस्टर क्लियरेंस का प्रावधान कब से प्रचलन में है?

उत्तर– दिनांक–30.09.1995 से।

24. वैसे पद जिनके नियुक्ति प्राधिकार जिला पदाधिकारी हों एवं प्रमंडलीय स्तरीय पदों पर नियुक्ति के क्रम में रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई कौन करेगा?

उत्तर– प्रमंडलीय आयुक्त।

25. स्वतंत्रता सेनानी/दिव्यांगों/महिलाओं को कौन सा आरक्षण का प्रावधान है?

उत्तर– क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation)

26. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़े वर्गों की महिलायें/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को कौन सा आरक्षण अनुमान्य है?

उत्तर– उर्ध्वाधर आरक्षण (Vertical Reservation)

1640

27. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को संविधान की किस धारा के तहत आरक्षण संबंधी प्रावधान किया गया है?

उत्तर– अनुसूचित जाति हेतु धारा 341 एवं अनुसूचित जनजाति हेतु धारा 342.

28. भारतीय संविधान की किस धारा में आरक्षण संबंधी प्रावधान किया गया है?

उत्तर– धारा–16(3)

29. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को नियुक्ति में आरक्षण कब से लागू है?

उत्तर– 1953

30. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मियों को प्रोन्नति में आरक्षण कब से लागू है?

उत्तर– 1971

31. पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति में आरक्षण कब से लागू है?

उत्तर– 1978

32. वर्तमान में सरकारी सेवाओं में नियुक्ति हेतु किस प्रकार के रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई की जाती है?

उत्तर– पद आधारित।

33. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को नियुक्ति में आरक्षण कब से प्रभावी है?

उत्तर– 26.02.2019

34. वर्तमान में रोस्टर क्लियरेंस करने संबंधी परिपत्र संख्या कौन सा है, जिसके द्वारा 100 बिन्दुओं का मॉडल रोस्टर बिन्दु भी परिचारित है?

उत्तर– अधिसूचना संख्या–14396 दिनांक–10.09.2024

35. कुल स्वीकृत बल से क्या तात्पर्य है?

उत्तर– किसी स्थापना में संबंधित पद हेतु कार्य करने हेतु स्वीकृत अधिकतम संख्या।

36. कार्यरत बल से क्या तात्पर्य है? क्या इसमें अधियाचित पद भी शामिल होता है?

उत्तर– किसी स्थापना में संबंधित पद पर कुल कार्यरत कर्मियों की संख्या एवं प्रेषित अधियाचना जिस पर नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। कार्यरत बल में अधियाचित पद भी शामिल होता है।

37. अंतिम व्यवहृत रोस्टर बिन्दु से क्या तात्पर्य है?

उत्तर– रोस्टर पंजी में की गई अंतिम प्रविष्टि, जिस पर योगदान करने वाले कर्मी का नाम एवं क्रमांक अंकित है।

38. प्रथम समव्यवहार से क्या तात्पर्य है?

उत्तर– वर्णित पद पर पहली बार रोस्टर क्लियरेंस कर नियुक्ति संबंधी कार्रवाई।

39. आरक्षण संबंधी प्रावधानों के उल्लंघन पर दंड संबंधी क्या प्रावधान है?

उत्तर– 3 महिने कारावास या 1000 रू0 जुर्माना या दोनों।

40. क्या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में बैकलॉग संबंधी प्रावधान है?

उत्तर– नहीं। शेष रिक्तियों पर गैर आरक्षित वर्ग के तहत नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी।

(638)

41. आरक्षित कोटि के वैसे उम्मीदवार, जो अपने गुणागुण के आधार पर चयनित होते हैं, की गणना किसमें की जाती है?

उत्तर– खुली गुणागुण कोटि की रिक्तियों के विरूद्ध।

42. क्या बैकलॉग रिक्ति के विरूद्ध दिव्यांगजन एवं स्वतंत्रता सेनानी के नाती/नीतीनी/पोता/पोती को क्षैतिज आरक्षण देय है?

उत्तर– नहीं।

43. दिव्यांगजन हेतु 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, महिलाओं हेतु 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण एवं स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों को किस प्रकार की रिक्ति के विरूद्ध क्षैतिज आरक्षण देय है?

उत्तर– मात्र चालू रिक्ति

44. किस परिपत्र द्वारा रोस्टर पंजी संधारण संबंधी विस्तृत दिशा–निदेश जारी किए गए हैं?

उत्तर– परिपत्र संख्या–9432 दिनांक–14.06.2024.

45. रोस्टर पंजी में नामों की प्रविष्टि कब की जाती है?

उत्तर– योगदान के पश्चात।

46. गुणागुण के आधार पर चयनित आरक्षित वर्ग के नाम की प्रविष्टि किस रोस्टर बिन्दु के विरूद्ध की जाती है?

उत्तर– गैर आरक्षित वर्ग हेतु कर्णांकित रोस्टर बिन्दु।

47. क्या रोस्टर पंजी में नामों की प्रविष्टि के आधार पर वरीयता का निर्धारिण होता है?

उत्तर– नहीं।

48. सुरक्षित रखे गए पदों के लिए कौन सा रोस्टर बिन्दु व्यवहृत किया जाता है?

उत्तर– अंतिम रोस्टर बिन्दु।

49. क्या योगदान करने वाले कर्मियों के नामों की प्रविष्टि रोस्टर पंजी में करते समय कोई रोस्टर बिन्दु रिक्त छोड़ सकते हैं?

उत्तर– नहीं।

50. अनुकंपा के आधार पर नियुक्त कर्मी के नाम की गिनती किस कोटि के विरूद्ध किया जाता है?

उत्तर– जिस कोटि से संबंध रखता हो (यदि रिक्ति उपलब्ध नहीं हो, तो भी)।

51. राज्याधीन सेवाओं की नियुक्ति में वर्तमान में रोस्टर गठन की कार्रवाई किस आधार पर की जाती है?

उत्तर– स्वीकृत बल के आधार पर।

52. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को रोस्टर गठन के क्रम में स्वीकृत बल का 10 प्रतिशत अनुमान्य है अथवा चालू रिक्ति का?

उत्तर– चालू रिक्ति का।

53. यदि कुल स्वीकृत बल का 10 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतर्गत कार्यरत हो, तो चालू रिक्ति में इन्हें कोई पद अनुमान्य कराया जा सकता है अथवा नहीं?

उत्तर– नहीं।

54. रोस्टर पंजी में नामों की प्रविष्टि कब की जाती है?

1676

उत्तर– कर्मी विशेष के योगदान के पश्चात। (योगदान करने वाले कर्मचारियों/ पदाधिकारियों के नामों की प्रविष्टि रोस्टर पंजी में करते समय कोई भी रोस्टर बिन्दु रिक्त नहीं रखा जाता है।)

55. क्या रोस्टर पंज़ी में नामों की प्रविष्टि के आधार पर वरीयता का निर्धारण होता है?

उत्तर– नहीं।

56. सुरक्षित रखे गए पदों के लिए कौन सा रोस्टर बिन्दु व्यवहृत किया जा सकता है?

उत्तर– जहाँ तक रोस्टर बिन्दु व्यवहृत हो चुका है, उसका अगला रोस्टर बिन्दु।

57. छोटे स्थापना में यदि अनुमान्यता की गणना के क्रम में अनुसूचित जनजाति को कोई पद उपलब्ध नहीं हो पा रहा हो, तो अनुसूचित जनजाति को कब पद उपलब्ध कराया जा सकेगा?

उत्तर– रोस्टर बिन्दु–19, 119, 219, ... व्यवहृत होने के उपरांत।

58. पिछड़े वर्गों की महिलायें के लिए कौन–कौन सा रोस्टर बिन्दु चिन्हित किया गया है?

उत्तर– रोस्टर बिन्दु–18, 52 एवं 84.

59. वर्तमान प्रचलित रोस्टर गठन की कार्रवाई के क्रम में क्या 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं को उपलब्ध कराये जाने वाला पदों के लिए रोस्टर बिन्दु चिन्हित है?

उत्तर– नहीं (कोटिवार रिक्ति के विरूद्ध अनुमान्यता के आधार पर)।

60. 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं को उपलब्ध कराये जाने वाले पदों के लिए वर्तमान में रोस्टर गठन में कौन सी प्रक्रिया अपनायी जाती है?

उत्तर– कोटिवार प्राप्त रिक्तियों का 35 प्रतिशत (कम से कम 03 या 03 पद से उपर प्राप्त होने के उपरांत)।

61. कोई पद एकल पद की परिधि में आता है अथवा नहीं, इसका निर्णय किसके स्तर से लिया जाना है?

उत्तर– प्रशासी विभाग के स्तर से निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।

62. दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति/प्रोन्नति के लिए संबंधित उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में रिक्तियों को आरक्षित रखे जाने के संबंध में क्या प्रावधान है?

उत्तर– सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–962 दिनांक–22.01.2021 में अंकित प्रावधानानुसार जहां कोई रिक्ति किसी भर्ती वर्ष में उपयुक्त संदर्भित दिव्यांगजन की गैर–उपलब्धता के कारण या कोई अन्य पर्याप्त कारण से भरी नहीं जा सकेगी ऐसी रिक्ति गैर आरक्षित वर्ग में कर्णांकित करते हुए पश्चात्वर्ती भर्ती वर्ष में अग्रणित (Carry Forward) होगी और पश्चात्वर्ती भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त संदर्भित दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है, तो पहले यह पांच प्रवर्गों में से अदला–बदली द्वारा हो सकेगी और केवल जब उक्त वर्ष में भी पद के लिए दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है, तो नियोक्ता द्वारा किसी दिव्यांगजन से भिन्न किसी व्यक्ति की नियुक्ति कर रिक्ति को भरा जा सकेगा।

परंतु यदि किसी स्थापना में रिक्तियों की प्रकृति ऐसी है कि दिए गए प्रवर्गों के व्यक्तियों को नियोजित नहीं किया जा सकता तो रिक्तियों की समुचित सरकार के पूर्व अनुमोदन से पांच प्रवर्गों में अदला–बदली की जा सकेगी।

63. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) के अंतर्गत आरक्षण का लाभ लेने हेतु परिवार की वार्षिक आय अधिकतम कितना निर्धारित है एवं प्रमाण पत्र निर्गत करने की क्या प्रक्रिया है?

उत्तर– 8 लाख रूपये (वार्षिक आय आवेदन करने के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के वेतन, कृषि, व्यापार एवं पेशा आदि से होने वाली समस्त श्रोतों से प्राप्त आयों को सम्मिलित किया जाएगा) तथा नियम–3(2) की शर्त्तों के अधीन अर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के एवं विहित परिसम्पतियां धारित नहीं करने का प्रमाण–पत्र संबंधित जिलाधिकारी / अनुमडंलाधिकारी / अंचलाधिकारी द्वारा संलग्न अनुसूची–I (प्रपत्र–I) में निर्गत किया जायेगा। संबंधित पदाधिकारी द्वारा ऐसा प्रमाण–पत्र निर्गत करने से पूर्व प्रत्यके अभ्यर्थी से एक शपथ–पत्र प्राप्त किया जायेगा, जिसमें अभ्यर्थी के द्वारा यह घोषणा की जायेगी कि उसके परिवार के पास संबंधित अंचल के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पति नहीं है अथवा कई स्थानों पर स्थित परिसम्पतियों को जोड़ने के पश्चात् भी वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आते हैं।

64. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) के अंतर्गत आरक्षण के लाभ हेतु प्रयोजनार्थ पद "परिवार" अनुसार परिवार में सम्मिलित सदस्यों से क्या तात्पर्य है?

उत्तर– परिवार में सम्मिलित है– अभ्यर्थी, जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हों, अभ्यर्थी के माता–पिता एवं 18 वर्ष से कम आयु के भाई/बहन और उसके पति/पत्नी एवं 18 वर्ष से कम आयु की संतान।

65. विवाहित महिला के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) के आरक्षण हेतु आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र का निर्धारण किस आधार पर किया जाएगा?

उत्तर– विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के स्थायी निवास (अंचल) से निर्गत होगा,

परन्तु इस विवाहित महिला को अपने पिता के स्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे स्पष्ट हो जाय कि विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी है।

66. अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत क्रीमीलेयर रहित (Non Creamy Layer) आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु परिवार की वार्षिक आय अधिकतम कितना निर्धारित है?

उत्तर– 8 लाख रूपये (आवेदक/आवेदिका के माता–पिता के वेतन एवं कृषि से प्राप्त आय को छोड़कर)।

67. रोस्टर गठन हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने के लिए चेक–लिस्ट के रूप में किन–किन बिन्दुओं का उल्लेख किया जाना आवश्यक है?

उत्तर–

(i) विभाग का नाम–

(ii) पद का नाम–

(iii) विवेचित पद का कुल स्वीकृत बल–

(सीधी भर्ती हेतु कुल स्वीकृत बल)

(iv) कोटिवार कार्यरत बल (अधियाचित पद सहित)–..... गैर आरक्षित वर्ग–....., अनुसूचित जाति–...., अनुसूचित जनजाति–....., अत्यंत पिछड़ा वर्ग–...., पिछड़ा वर्ग–....., पिछड़े वर्गों की महिलायें–....., आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग–.....

(v) रिक्ति– .....

(vi) अंतिम व्यवहृत रोस्टर बिन्दु–.....

68. किस संकल्प/परिपत्र द्वारा राज्य सरकार की सेवाओं/संवर्गों/पदों में सीधी भर्ती के लिए विभिन्न कोटियों हेतु अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की गयी है?

उत्तर– संकल्प संख्या–294 दिनांक–07.01.2016

कोटि	आयु सीमा
अनारक्षित वर्ग (पुरूष)	37 वर्ष
पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला)	40 वर्ष
अनारक्षित वर्ग (महिला)	40 वर्ष
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)	42 वर्ष

69. किस संकल्प/परिपत्र द्वारा राज्य सरकार की सेवाओं/संवर्गों/पदों में सीधी भर्ती के लिए विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में न्यनूतम अर्हतांक निर्धारित किए गए हैं?

उत्तर– संकल्प संख्या–2374 दिनांक–16.07.2007

कोटि	प्रतिशत
सामान्य वर्ग	40%
पिछड़ा वर्ग	36.5%
पिछड़ा वर्ग एनेक्श्चर–1	34%
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग	32%

70. किस संकल्प/परिपत्र द्वारा राज्याधीन सेवाओं की नियुक्तियों में विवाहित महिलाओं को आरक्षण का लाभ अनुमान्य कराने के संबंध में प्रावधान परिचारित किए गए हैं?

उत्तर– परिपत्र संख्या–15760 दिनांक–02.09.2022

71. विवाहित महिलाओं के पक्ष में आरक्षण के लाभ का निर्धारण किस आधार पर दिया जाना है?

उत्तर– पिता के आवास (यदि वे बिहार के मूल निवासी हों तो) के आधार पर।

72. विवाहित महिलाओं के पक्ष में क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र का निर्धारण किस आधार पर किया जाएगा?

उत्तर– पिता के आवास (यदि वे बिहार के मूल निवासी हों तो) के आधार पर।

73. किस संकल्प/परिपत्र द्वारा राज्याधीन सेवाओं की नियुक्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (E.W.S.) को आरक्षण का लाभ अनुमान्य कराने के संबंध में प्रावधान परिचारित किए गए हैं?

उत्तर– परिपत्र संख्या–12123 दिनांक–23.06.2023

74. वैसी जातियां, जो बिहार राज्य हेतु अधिसूचित अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल हैं, परन्तु केन्द्र सरकार की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल नहीं है, को किस वर्ग के अधीन आरक्षण का लाभ देय होगा?

उत्तर– कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–43011/11/2022–Estt. (Res-II) दिनांक–18.09.2022 द्वारा परिचारित FAQ के आलोक में केन्द्रीय सेवाओं की नियुक्ति हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतर्गत।